LABOUR DEPARTMENT

The 29th January, 1987

No. 9/7/86-6Lab./10939.—In pursuance of the provisions of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act No. XIV of 1947), the Governor of Haryana is pleased to publish the following award of Presiding Officer, Labour Court, Rohtak in respect of the dispute between the workman and the management of M/s Om Weaving Factory, 41/4, Bahalgarh Road, Sonepat.

BEFORE SHRI B. P. JINDAL, PRESIDING OFFICER, LABOUR COURT, ROHTAK

Reference No. 201 of 85

between

SHRI NIRAKAR NAYAK, WORKMAN AND THE MANAGEMENT OF M/S OM WEAVING FACTORY, 41/4, BAHALGARH ROAD, SONEPAT

Present :—

Shri Bahadur Yadav, A. R. for the petitioner.

Shri S. S. Aggarwal, for the respondent.

AWARD

1. In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor of Haryana referred the following dispute, between the workman Shri Nirakar Nayak and the management of M/s Om Weaving Factory, 41/4, Bahalgarh Road, Sonepat, to this Court, for adjudication,—*vide* Haryana Government Gazette, Notificarion No. 48149—54, dated 28th November, 1986 :—

Whether the termination of services of Shri Nirakar Nayak is justified and in order ? If not, to what relief is he entitled ?

After receipt of the order of reference, notices issued to the parties. The partics appeared.

2. Case of the petitioner is that he was employed with the respondent as a Weaver since 12th August, 1982 and the respondent unlawfully closed the concerned on 2nd November, 1984 and re-opened the same on 18th December, 1984 and when he went to resume his duties, he was not allowed to do so and in this way the management choose to terminate his services unlawfully without complying with the mandatory provisions of section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947.

3. In the reply filed by the respondent, claim of the petitioner has been controverted *in toto*. Pleas taken need not be detailed because this reference is being answered on ground other than merits.

4. On the pleadings of the parties, the following issues framed by me on 24th March, 1986 :—

(1) Whether the reference is bad in Law ? OPR.

(2) As per terms of the reference.

5. Before any evidence could be adduced Authorised Representative for the peti-tioner Shri Bahadur Yadav made a statement in the Court that the petitioner does not want to prosecute this reference. So the same is dismissed and answered accordingly, with no order as to cost.

B. P. JINDAL,
Presiding Officer,
Labour Court, Rohtak.

Dated the 7th November, 1986.

Endorsement No. 201-85/1734, dated the 4th December, 1986.

Forwarded (four copies), to the Secretary to Government, Haryana, Labour and Employment Departments, Chandigarh, as required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

B. P. JINDAL,

Presiding Officer,
Labour Court, Rohtak.

KULWANT SINGH,

Secretary to Government, Karyana,
Labour and Employment Department.

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

The 31st March, 1987

No. 1656-AH(1)-87/6188.—The Governor of Haryana is pleased to retire Dr. P. L. Chadha, H.V.S.I, Joint Director, Animal Husbandry Department, Haryana from Government service with effect from the 31st March, 1987 (A.N.) on his attaining the age of superannuation at 58 years.

T. D. JOGPAL,

Chandigarh, dated the 31st March, 1987.

Commissioner and Secretary to Government,
Haryana, Animal Husbandry Department.

श्रम विभाग

दिनांक 13 जनवरी, 1987

सं० ओ० वि०/रोहतक/123-86/1666.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है की मै० मोहन स्पीनिंग मिल, रोहतक के श्रमिक श्री मैकू राम, मार्फत श्री रोशन लाल, जनरल सैक्रेटरी, कोटन टैक्सटाईल वर्करज यूनियन, मकान नं० 94, शुगर मिल, कालोनी, रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच का विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री मैकू राम की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर-हाजिर हो कर नौकरी से पूनर्ग्रहणाधिकार (लियन) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/गुड़गांवा/97-86/1673.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० इण्डो स्विस टाईम लि०, दिल्ली रोड़, गुड़गांव, के श्रमिक श्री नरेन्द्र तिवारी, मार्फत श्री महाबीर त्यागी इन्टक यूनियन, गुड़गांव तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के

साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री नरेन्द्र तिवारी की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैरहाजिर हो कर नौकरी से पुनग्रहणाधिकार (लियन) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

शुद्धि पत्र

सं० श्रो० वि/एफ.डी./43-86/1680.—हरियाणा सरकार के अधिसूचना क्रमांक श्रो० वि०/एफ.डी/43-86/23643 दिनांक 9 जुलाई, 1986 जोकि हरियाणा राज्य पत्रिका दिनांक 15 जुलाई, 1986 पृष्ठ 2005 पर छपा है में संस्था का नाम "आटो क्रास प्रा० लि०, नेहरू ग्राउण्ड, फरीदाबाद" के स्थान पर संस्था का नाम "मैं० क्रास आटो एन्सीलियरीज प्रा० लि०, 18-ए, नेहरू ग्राउण्ड एन. आई. टी., फरीदाबाद" पढ़ा जाए ।

सं० श्रो० वि०/भिवानी/91-86/1684.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है की (1) रजिस्ट्रार को-ओप्रेटिव सोसाईटी, हरियाणा, चण्डीगढ़, (2) दी भम्भेवा को-ओप्रेटिव क्रेडिट एण्ड सर्विस सोसाईटी लि०, भम्भेवा तह० सफीदों, जीन्द, के श्रमिक श्री करतार सिंह, गांव कुर्द, तह० सफीदों, जिला जीन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री करतार सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० श्रो० वि०/एफ०डी०/240-86/1715.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० एस. जे. निटिंग एण्ड फिनिशिंग 13/7, मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री दिनेश झा पुत्र श्री देव नारायण, मार्फत हिन्द मजदूर सभा, 29, शहीद चौक, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-(3)-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री दिनेश झा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

आर० एस० अग्रवाल,
उप-सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।